

**Generator क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा।**

मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, 7, सरदार पटेल मार्ग, (मैंगलस रोड), बिहार, पटना के कार्यालय उपयोग हेतु 160 KVA ELEC 3PH AMF का Generator Set GeM Portal पर Buyback Option के साथ नहीं रहने के कारण तथा वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में पुराना 100 KVA का DG Set Buyback करते हुए नया 160 KVA ELEC 3PH AMF ITC- (Capacity- 160KVA, 3 PHASE, Type of Control Panel- AMF, RPM-1500, Type of Engine Cooling- Liquid Cooled, Capacity of Engine-7200CC)- 01 अदद का निविदा के माध्यम से क्रय हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता/ ऐजेंसी एवं फर्म से मुहरबन्द दर द्वेष्य पद्धति लिफाफा में निविदा दिनांक 30.03.2020 के अपराह्न 4:00 बजे तक आमंत्रित की गई थी, परंतु कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन किये जाने के कारण कोई निविदा प्राप्त नहीं हुआ। जिसके कारण निविदा डालने की तिथि 29.05.2020 के अपराह्न 4:00 बजे तक बढ़ाई गयी थी, परन्तु लॉकडाउन की अवधि 31.05.2020 तक बढ़ जाने के कारण कोई निविदा प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण पुनः निविदा डालने की अवधि दिनांक 30.06.2020 के अपराह्न 4:00 बजे तक विस्तारित की गई।

दिनांक 30.06.2020 के अपराह्न 4:00 बजे तक कुल 05 निविदादाता द्वारा निविदा डाली गयी, परन्तु तकनीकी निविदा में मात्र 02 निविदादाता सफल पाये गये। तकनीकी निविदा में सफल 02 निविदादाताओं में से 01 निविदादाता द्वारा निविदा के शर्तों के अनुसार पुराने Gen Set के Buyback का मूल्य एवं नये Gen Set का मूल्य अलग-अलग अंकित नहीं किये जाने के कारण वे निविदा में अयोग्य माने गये। ऐसी स्थिति में एकल वित्तीय निविदा हो जाने के कारण दिनांक 12.06.2020 को प्रकाशित निविदा रद्द करते हुए उक्त समाग्री के क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा डालने की अवधि दिनांक 05.08.2020 के अपराह्न 4:00 बजे तक निर्धारित की जाती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में उसी दिन 5:00 बजे अपराह्न में विभागीय क्रय समिति एवं निविदादाता/उनके प्रतिनिधि के समझ खोला जायेगा।

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

(1) निविदा दो प्रकार की होगी :-

(क) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में प्राप्त की जायेगी, जिस पर लाल स्याही से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा लिखा होना चाहिए। लिफाफा पर स्पष्ट शब्दों में तकनीकी/वित्तीय निविदा नहीं अंकित रहने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त दोनों लिफाफा एक बड़ा लिफाफा में बंद कर प्रेषित किया जायेगा, जिस पर स्पष्ट लिखा रहना चाहिए कि “Generator क्रय हेतु निविदा”। निविदा संबंधी लिफाफा निर्बंधित डाक/निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं कार्यालय अवधि तक प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद भेजे गए निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :-

(i) निविदादाताओं को निविदा के समय जमानत की राशि के रूप में `60,000/- (साठ हजार रुपये) मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, बिहार-सह-सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिन निविदादाताओं का निविदा सफल नहीं होगा उनकी जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।

(ii) निविदादाता सर्विस टैक्स/GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं विगत तीन वर्षों का आयकर के भुगतान की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करेंगे।

(iii) निविदादाता को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनकी फर्म कहीं से ब्लैकलिस्टेड नहीं है।

(iv) तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का ही विचीय निविदा खोला जायेगा।

(iv) तकनीकी लोगों से सहायता।

(i) वित्तीय निविदा में 160 KVA ELEC 3PH AMF ITC- (Capacity- 160KVA, 3 PHASE, Type of Control Panel- AMF, RPM 1500, Type of Engine Cooling- Liquid Cooled, Capacity of Engine 7200CC) का सभी लिंगाताराँ अंकित करें।

(ii) वित्तीय निविदा में पुराना 100 KVA का DG Set का Buyback मूल्य, नया 160 KVA ELEC 3PH AMF ITC- (Capacity- 160KVA, 3 PHASE, Type of Control Panel- AMF, RPM-1500, Type of Engine Cooling- Liquid Cooled, Capacity of Engine-7200CC) का मूल्य एवं Buyback के पश्चात् के मूल्य अलग-अलग अंकित करेंगे। निविदादाता को Generator Set के Guarantee / Warranty का भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

**(iii) प्रारंभी Generator को इंटरेंस पार्ट नगा Generator को अधिकारित करने की जिम्मेदारी सफल लिविंगटारा की होगी**

**(iv)** निविदादाता निविदा खोलने की निर्धारित तिथि को स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं।

(v) निविदा में दाले गये दस्त की मात्राता तीव्र सर्विनें तक रहेगी।

(vi) निविदा रद्द करने, विस्तारित करने एवं स्थगित करने का अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सचिव, निर्वाचन विभाग बिहार प्रदेश को समर्पित रहेगा।

(आलोक कुमार  
उप सचिव।